

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/सहा.अभि./स्थाना.पद./19/3189 जयपुर, दिनांक:-29.9.19

आदेश

निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं/कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	पद	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1.	श्री श्यामसुन्दर शर्मा	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति मुण्डावर जिला अलवर	पंचायत समिति कोटकासिम, अलवर	
2.	श्री मोहन लाल नेहरा	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति पीपराली, सीकर	पंचायत समिति खण्डेला, सीकर	
3.	श्री गिरिराज किशोर नागला	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति मण्डोर, जोधपुर से पीलीबंगा, हनुमानगढ स्थानान्तरणधीन	पंचायत समिति भोपालगढ, जोधपुर	
4.	श्री राजीव कुमार शर्मा	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति हिण्डौन करौली	पंचायत समिति तिजारा, अलवर	
5.	श्री राजेश कुमार	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति पाटन, सीकर	जिला परिषद चूरू	रिक्त पद पर
6.	श्री शक्ति सिंह शेखावत	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति सायरा उदयपुर	पंचायत समिति मावली, उदयपुर	
7.	रोविन चौहान	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति नीमराना, अलवर से पंचायत समिति रतनगढ, स्थानान्तरणधीन	पंचायत समिति मुण्डावर, अलवर	
8.	श्रीमती कृष्णा पाठक	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति बारां से खमनोर, राजसमन्द स्थानान्तरणधीन	जिला परिषद कोटा	
9.	श्री रामहंस मीणा	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति भीम, राजसमन्द	पंचायत समिति गगांपुरसिटी, सवाईमाधोपुर	
10.	सुश्री रीता कुरडिया	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति पांचू, बीकानेर	पंचायत समिति नोखा, बीकानेर	

उपरोक्त अभियन्ता तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर संबंधित विकास अधिकारी के माध्यम से सूचना भिजवायेंगे। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। नवीन पदस्थापन स्थान रिक्त नहीं होने की स्थिति में वरिष्ठतम अभियन्ता (पदस्थापन अवधि) आदेशों की प्रतिक्रिया में विभाग, मुख्यालय पर कार्यग्रहण करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. जिला कलेक्टर, संबंधित ।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबंधित ।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. संबंधित अभियन्ता को पालनार्थ ।
9. निजी/आरक्षी पत्रावली ।

५।
२६/१२/२०५
संयुक्त शासन सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त